न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 32/2020 **दायरा दिनांक : 06.07.2020**

उनवान

1– जगमोहन आयु 48 साल आत्मज घीसालाल, जाति तेली, निवासी ग्राम गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– दीपा आयु 45 साल पत्नी जगमोहन, जाति तेली, निवासी ग्राम गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– बसन्ती पत्नी घीसालाल, जाति तेली, निवासी ग्राम गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– सुरजी पत्नी घीसालाल, जाति तेली, निवासी ग्राम गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– बाबूलाल आत्मज रतन लाल, जाति तेली, निवासी ग्राम गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– हेमराज आत्मज घीसालाल, जाति तेली, निवासी ग्राम गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– ज्योति पत्नी हेमराज, जाति तेली, निवासी ग्राम गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

निर्णय दिनांक : 30.06.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 43/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.12.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने एक दावा अपीलांट के विरूद्ध पेश किया था। ग्राम गुराडी पटवार हल्का आवंहेडा, तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 156 पुरानी 33 की आराजी खसरा नम्बर 373 रकबा 2 बीघा वादी एवं अन्य खातेदारान के शामलाती खाते दर्ज है । वादग्रस्त आराजी में से रेखा बाई पत्नी जगमोहन, जाति तेली, निवासी मनोहरथाना का सम्पूर्ण हिस्सा यानि 1/46 भाग जो 60 फीट लम्बा व 12 फीट 6 इंच चौड़ा खरीद किया था जिसका नामान्तकरण संख्या 753 दिनांक 20.05.2017 को वादी के पक्ष में खुल गया है तथा उक्त 1/46 भाग पर वादी द्वारा निर्माण कर मकान बना लिया गा है। इस दावे की अपीलांट को कभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा अपीलांट को प्रकरण के बाबत किसी ने नहीं बताया। अपीलांट को सूचना के बिना तथा अपीलांट को सुने बिना अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया। रेस्पोडेट ने तथ्यों को छुपाते हुए न्यायालय से गलत रूप से निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण त्रुटि की है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट गांव के व्यक्ति हैं तथा बिना पढ़े–लिखे हैं तथा परिणामों के बारे में समझते नहीं हैं। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावे की कभी कोई सूचना प्राप्त ही नहीं हुई तथा अपीलांट को प्रकरण के बारे में किसी ने नहीं बताया ऐसी किसी सम्मन पर अपीलांट के हस्तक्षर भी नहीं हैं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलांट को सुने बिना तथा अपीलांट को सूचना के बिना प्रकरण को बिना किसी सबूत के निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट की किसी भी प्रकार की सुनवायी का अवसर नहीं दिया । अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया । अपीलांट को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया । रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत करके अधीनस्थ न्यायालय को गुमराज करके निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त की जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी का स्वामी व खातेदार है । अपीलांट विवादग्रस्त मकान पर लगातार आज तक बहैसियत स्वामी खातेदार विधिक कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 खातेदार कृषक नहीं है तथा उनका कब्जा भी नहीं है । वादग्रस्त आराजी में मकान बना हुआ है जिसमें अपीलांट का वादग्रस्त मकान पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय को वादग्रस्त मकान पर कब्जा देने का कोई अधिकार नहीं था। वादग्रस्त मकान पर कब्जे के बाबत निर्णय देने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है । अधीनस्थ न्यायालय को वाद सुनने का कोई अधिकार नहीं था । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । रेस्पोडेंट ने फ्राड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन करके अधीनस्थ न्यायालय से डिक्री प्राप्त की है जो निरस्त होने योग्य है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने वाद में राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाये ही वाद प्रस्तुत कर दिया राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मनोहरथाना को पक्षकार बनाये बगैर दावा कानूनन मेंटेनेबल नहीं होने से दावा वादी खारिज होने योग्य था । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.12.2019 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.02.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने भी लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.12.2019 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.09.2022 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा